न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या—31/21

भजनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाटव नि0 ग्राम रमासपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।

— प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार वैर भरतपुर।

—अप्राथी

— प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः—
प्रार्थी की ओर से श्री नरेद्र कुमार जैंथ एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार वैर।

आदेश

दिनांक 10.03.2022

यह है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आराजी ख0न0 2 रकवा 2.2500, 3 रकवा 0.2000, 4 रकवा 0.2200, 5 रकवा 8.1900 है0 कुल किता 4 रकवा 10.8600है0 में 13/480हिस्सा व आराजी ख0न0 70 रकवा 9.4400, 71 रकवा 0.0100, 72 रकवा 0.0100, 73 रकवा 0.0500 किता 4 कुल रकवा 9.5100है0 में 131/7080 हिस्सा तथा आराजी ख0न0 01 रकवा 1.8200है0 में 1/40 हिस्सा वाके ग्राम रमासपुर तह0 वैर जिला भरतपुर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। जो प्रार्थी द्वारा खरीद की गई है। खरीद के वक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर कराते समय प्रार्थी का नाम भजनलाल पुत्र रामजीलाल के स्थान पर डीड राइटर सहवन की गलती से भजन पुत्र रामजीलाल दर्ज हो गया था। और इसी सहवन गलती की वजह से प्रार्थी का आज तक राजस्व रिकार्ड में गलत नाम इंद्राज होता चला आ रहा है। जबकि उपरोक्त आराजी में अलग से प्रार्थी की पैतृक खातेदारी में प्रार्थी का नाम भजनलाल दर्ज होता चला आ रहा है जो सही नाम है। इस बात की जानकारी प्रार्थी को नकल जमाबंदी वास्ते केसीसी लेने पर हुई। आराजी में गलत नाम इंद्राज भजन पुत्र रामजीलाल होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता से महरूम रहना पड रहा है और अन्य सहायताओं से भी वंचित होना पड रहा है। तथा आर्थिक और मानसिक पेरसानी का सामना करना पड रहा है। एवं प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। सरकारी सहायता भी इस नाम से

वंचित रह रहा है। जबकि भजनलाल पुत्र रामजीलाल नाम का दीगर व्यक्ति गांव रमासपुर में अन्य कोई वांसिदा नहीं है। प्रार्थी का उक्त गलत इद्रांज राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के समय से होता चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भजनलाल पुत्र रामजीलाल नाम ही दर्ज होता चला आ रहा है। तथा ग्राम रमासपुर एवं आसपास के गांवों में भी प्रार्थी को भजनलाल के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भजन पुत्र रामजीलाल के स्थान पर भजनलाल पुत्र रामजीलाल न्यायोचित है। आराजी की खातेदारी में अपने गलत नाम के इद्रांज शुद्विकरण कराने के लिए प्रार्थी दिनांक 27.11.2021 को श्रीमान तहसीलदार वैर अप्रार्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र नाम शुद्विकरण के लिए पेश किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम शुद्व नहीं किया और यह स्पष्ट रूप से धमकी दी कि हम तेरे नाम शुद्व नहीं करेंगे। और इस आराजी का कब्जा हटवा देंगे और किसी दीगर व्यक्ति के लिए आवंटन कर देगें। यदि अप्रार्थी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गया तो प्रार्थी अपनी खरीदशुदा आराजी से वेदखल होकर हमेशा के लिए महरूम रह जायेगा। जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयों पैसों से सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी खातेदारी के रिकार्ड में इद्रांज अपने गलत नाम भजन के स्थान पर सही नाम भजनलाल दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम भजन के स्थान पर भजनलाल दर्ज किया जाकर दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी पालना में अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया कि ग्राम में आम बोल–चाल की भाषा में प्रार्थी को भजन नाम से बोलतें हैं। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम भजनलाल पुत्र रामजीलाल है जो सही है। अतः भजन पुत्र रामजीलाल के स्थान पर भजनलाल पुत्र रामजीलाल रिकार्ड में सही किया जाना उचित होगा।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत् 2074 एवं आधार–कार्ड, राशन–कार्ड तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के जबाब एवं पत्रावली का भली–भांती अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी 2074 राशन–कार्ड, आधार–कार्ड एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति में भजनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाटव नि0 रमासपुर तह0 वैर भरतपुर दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जातें है। कि प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम भजन पुत्र रामजीलाल के स्थान पर भजनलाल

पुत्र रामजीलाल जाति जाटव नि0 रमासपुर तह0 वैर भरतपुर दर्ज किया जावे। जिसके राजस्व रिकार्ड में शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार वैर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर